भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1796

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

उद्योग में एआई, 5जी और साइबर सुरक्षा जैसी प्रौद्योगिकियों की मांग

1796. श्री बलभद्र माझी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौशल भारत कार्यक्रम की पुनर्संरचना में उद्योग की मांगों और एआई, 5जी और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ बेहतर एकीकरण को सुनिश्चित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम की पुनर्संरचना के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए कौशल अंतराल को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम की पुनर्संरचना के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अर्जित कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कुशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) में तीन स्कीमें अर्थात (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस), और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना शामिल हैं, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में उद्योग की मांगों और एआई, 5जी, साइबर सुरक्षा,

आईओटी, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ अधिक एकीकरण सुनिश्चित करती है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग की उभरती मांगों और नए युग की तकनीक के आगमन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, एआई, 5जी तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएम-एनएपीएस के तहत, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, आईओटी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों सहित प्रचलित विनिर्माण में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत, कौशल पाठ्यक्रमों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और संबंधित जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाता है।

एसआईपी के तहत, पीएमकेवीवाई 4.0 में, दिनांक 31.12.2024 तक 3,52,963 उम्मीदवारों को भविष्य के कौशल में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एसआईपी के तहत, एनएपीएस स्कीम में, दिनांक 31.12.2024 तक प्रमुख उभरते क्षेत्रों में कुल 1,458 शिक्षुओं को शामिल किया गया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 778, साइबर सुरक्षा में 38 और मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन में 642 शिक्षु शामिल हैं।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल अंतराल अध्ययन, उद्योग परामर्श और जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के माध्यम से घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और हाइपरलोकल बाजारों से कौशल आवश्यकताओं का नियमित रूप से आकलन करता है। यह पहल कार्यबल को अनुकूलनीय और उद्योग के लिए तैयार बनाए रखने के लिए निरंतर कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण पर भी जोर देती है।

(ग) एसआईपी के तहत दिए जाने वाले सभी कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं, जो क्रेडिट असाइनमेंट और संचय के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा है। एनएसक्यूएफ क्रेडिट ट्रांसफर प्रावधानों के माध्यम से कौशल के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे ये क्रेडिट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वीकार्य और हस्तांतरणीय हो जाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समकक्षता के माध्यम से अन्य देशों द्वारा भारतीय शिक्षा और कौशल को व्यापक मान्यता और स्वीकृति प्रदान करता है, विदेशी कौशल निकायों और संस्थानों के साथ आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

*****